।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ।।

पत्रांक 3368 / 12-1 दिनांक मार्च 10 2016।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
गोपेश्वर।

विषयः— **चमोली पलेठी सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होतु हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव।**

सन्दर्भः— **आपके द्वारा प्रभाग स्तर पर उपलब्ध करायी गयी एकनोलिजमेन्ट स्लिप।**

महोदय,

आपके द्वारा आनलाईन किये गये उपरोक्त प्रस्ताव का अवलोकन करने पर प्रस्ताव में निम्न कमियां पायी गयी है, जिनका निराकरण आपके स्तर से किया जाना हैः—

1. प्रस्ताव में पार्ट । के A-3-xvii एवं एडिसनल इन्फोरमेसन के क्रम संख्या—17 पर अपलोड़ किये गये प्रस्ताव की पीडीएफ फाईल के पेज संख्या 05 पर Mr. Neeraj Agarwal को Authorized किया गया है, जबकि ऑनलाईन पार्ट । में नाम Adarsh Gopal Singh का नाम दिखा रहा है, इसे संशाधित किया जाना है।
2. एडिसनल इन्फोरमेसन के क्रम संख्या—17 पर अपलोड किये गये प्रस्ताव की पीडीएफ फाईल के पेज संख्या—30 पर संयुक्त निरीक्षण एवं वृक्षों की सूची में वन क्षेत्राधिकारी, पीपलकोटी राजि के हस्ताक्षर है, परन्तु प्रभागीय वनाधिकारी अलकनन्दा भूमि वन प्रभाग के हस्ताक्षर नहीं है। जिसमें उनके एवं तत्पश्चात अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर कराये जाने हैं।
3. बार चार्ट, लम्बाई चोड़ाई प्रमाण पत्र एवं लेण्ड़ शेड्यूल में 3.92 है0 सिविल भूमि मार्ग हेतु एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.168 है0 सिविल वन भूमि दिखाई गयी है परन्तु वृक्षों की गणना सूची में वन पंचायत सेमा एवं वन पंचायत मैठाणा में भी वृक्षों की गणना की गयी है। इस बारे में स्थिति स्पष्ट करें कि प्रस्ताव में वन पंचायत की भूमि शामिल है या नहीं। यदि शामिल नही है तो वृक्षों की गणना वन पंचायत भूमि में क्यों की गयी हैं।
4. आपके द्वारा प्रस्ताव में मलवा निस्तारण हेतु मलवा निस्तारण योजना के Annexure-II के अनुसार 0.168 है0 सिविल भूमि प्रस्तावित की गयी है जिसमें यदि 5 मीटर की ऊचाई तक भी मलवा डाला जाये तो मात्र 8400 घन मी0 मलवा ही निस्तारित हो पायेगा। आपके मार्ग की लम्बाई 8.00 किमी0 है जिसमें प्रति किमी0 10,000 घन मी0 मलवे के हिसाब से औसत कुल 80,000 घन मी0 मलवा उत्पन्न होगा। जो आपके द्वारा प्रस्तावित 0.168 है0 में केसे आ पायेगा उसकी स्थिति भी स्पष्ट नहीं है। Annexure-II को मलवा निस्तारण स्थल की लम्बाई चोड़ाई एवं ऊचाई के अनुसार सही प्रकार से बनाया जाना है।

अतः आप अपने स्तर से उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर इस कार्यालय को सूचित करें, ताकि एकनोलिजमेन्ट स्लिप जारी की जा सकें।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।